



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931

No. 1370]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2223(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ) तारीख 25 मई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एन. एच.-14013/8/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 815(अ), तारीख 25 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2223(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O. 815(E), dated the 25th May, 2007, namely:—

In the Table to the said notification, the entry in respect of National Highway No. 39 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. NH-14013/8/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published vide number S.O. 815(E), dated the 25th May 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2224(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 247(अ) तारीख 5 फरवरी, 2008 को उन बातों के सिवाय जिन्हें विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा. सं. एन. एच.-14013/8/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2224(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of

Road Transport and Highways) number S.O. 247(E), dated the 5th February, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/8/2006-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2225 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"15.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53 [217 कि.मी. का छोड़कर (3 कि.मी. से 220 कि.मी. तक)], और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150 [437 कि.मी. को छोड़कर (140 कि.मी. से 402 कि.मी. तक और 448 कि.मी. से 663 कि.मी. तक)], का उतना भाग जितना मणिपुर राज्य में स्थित है।	मणिपुर राज्य सरकार"

[फा. सं. एन.एच.-14013/8/06-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 1290(अ) तारीख 20 मई, 2009 द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2225(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"15.	So much of National Highways No. 39, No. 53 [excluding 217 km. (from 3 km. to 220 km.)] and No. 150 [excluding 437 km. (from 140 km. to 402 km. and km. 488 to 663 km.)] as are situated within the State of Manipur	State Government of Manipur".

[F. No. NH-14013/8/06-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1290(E), dated the 20th May, 2009.